रा.आ.बैंक/आईटीडी/कोटेशन/ /2019
........**अगस्त**, 2019
नाम एवं पता अंग्रेजी पत्रानुसार

महोदय,

<u>राष्ट्रीय आवास बैंक- प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में इंटरनेट लीज़ लाइन एवं बैंडविड्थ सेवाओं सहित डीडीओएस बचाव की आपूर्ति, चालू करने एवं अनुरक्षण हेतु बोली आमंत्रण</u>

राष्ट्रीय आवास बैंक राष्ट्रीय आवास बैंक- प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में इंटरनेट लीज़ लाइन एवं बैंडविड्थ सेवाओं सहित डीडीओएस बचाव की आपूर्ति, चालू करने एवं अनुरक्षण हेतु चुनिंदा कंपनियों से सीलबंध कोटेशन आमंत्रित करता है (प्रति संलग्न है)।

लिफाफे नॉन-विंडो होने चाहिए और उसके ऊपर "राष्ट्रीय आवास बैंक- प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में इंटरनेट लीज़ लाइन एवं बैंडविड्थ सेवाओं सहित डीडीओएस बचाव की आपूर्ति, चालू करने एवं अनुरक्षण हेतु बोली आमंत्रण" लिखी होनी चाहिए।

यह लिफाफा नीचे दिए गए पते पर रा.आ.बैंक को संबोधित होगा:

महाप्रबंधक,
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5 ए, तीसरी मंजिल, इंडिया हैबिटेट सेंटर
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

कोटेशन 11 सितंबर 2019 को शाम 6 बजे से पहले उपरोक्त पते पर पहुंच जानी चाहिए।

भवदीय,

ह/-

सहायक महाप्रबंधक- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
राष्ट्रीय आवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक- प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में इंटरनेट लीज़ लाइन एवं बैंडविड्थ सेवाओं सहित डीडीओएस बचाव की आपूर्ति, चालू करने एवं अनुरक्षण हेतु बोली आमंत्रण

1. भूमिका

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) संसद के अधिनियम के अधीन गठित एक शीर्ष वित्तीय संस्थान है जिसे आवास वित्त संस्थानों के संवर्धन, विकास एंव विनियमन का कार्य सौंपा गया है। आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.) का विनियमन करने के अतिरिक्त राष्ट्रीय आवास बैंक आवास वित्त कंपनियों में इक्विटी सहभागिता के माध्यम से वित्तीय सहायता एवं शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों को लाभ पहुंचाते हुए बैंकों, आवास वित्त कंपनियों, सहकारी क्षेत्र के सस्थानों, आवास एजेंसियों इत्यादि जैसे वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त सुविधा भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय आवास बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है एवं मुंबई में क्षेत्रीय कार्यालय तथा अहमदाबाद, बेंगलुरू, हैदराबाद व कोलकाता में इसके प्रतिनिधि कार्यालय अवस्थित हैं।

राष्ट्रीय आवास बैंक (यहां बाद में इसे बैंक के रूप में संदर्भित किया गया है) जिसका प्रधान कार्यालय 3-5वें तल, कोर 5 ए, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली में है, अपने नई दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय में उच्च उपलब्धता वाली क्वालिटी इंटरनेट कनेक्टिविटी खरीदने की इच्छुक है:

राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5 ए, तीसरी मंजिल, इंडिया हैबिटेट सेंटर
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

अत: इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए वेंडर आमंत्रित करते हैं।

2. कार्य क्षेत्र

बैंक नई दिल्ली स्थित अपने प्रधान कार्यालय में सक्षम प्रबंधित डीडीओएस पहचान एवं न्यूनीकरण सेवाओं सहित समर्पित 32 एमबीपीएस (1:1 अनकम्प्रेस्ड, अनफिल्टर्ड एवं साझा नहीं किया गया) इंटरनेट लिज्ड लाइन बेंडविथ सेवाओं की अपूर्ति, चालू करने एवं अनुरक्षण हेतु आईपीवी6 (सिफी टेक्नोलॉजी लिमिटेड के अलावा क्योंकि रा.आ.बैंक के पास सिफी टेक्नोलॉजी लिमिटेड से सेकेंडरी इंटरनेट लीज लाइन है) समर्थन सहित दिल्ली/नोएडा में कनेक्टेड नेटवर्क वाले NIXI के सदस्य रहे प्रतिष्ठित इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) से निविदा आमंत्रित करता है। है। रा.आ.बैंक **लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के रूप में ऑप्टिक फाइबर** के माध्यम से एक इंटरनेट बैंडविड्थ प्रदान करने के लिए वेंडर से प्रस्ताव आमंत्रित करना है। उपलब्धता एवं समान बैंडविड्थ दोनों ही महत्वपूर्ण है। बोलीदाता को सिफी टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए वैकल्पिक लिंक के लिए स्वचालित स्विचओवर के लिए बुनियादी ढाँचा प्रदान करने की भी आवश्यकता है इसमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी स्थापित करना, आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति और लगाना शामिल है। बैंक सफल बोलीदाताओं के साथ दिनांक 01 जनवरी, 2020 के तत्काल प्रभाव से 5 वर्षो की अवधि के लिए एक सेवा संविदा निष्पादित करेगा जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाएगी तथा संतोषजनक कार्य-निष्पादन पर आगे के वर्षों के लिए नवीकृत की जाएगी। यदि कार्य-

निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया जाता तो बैंक को वेंडर को 3 माह की अवधि की नोटिस के साथ सेवा संविदा रद्द करने का अधिकार है।

3. बोली का मूल्यांकन

सेवा प्रदाता जो इस बोली में भाग लेने के इच्छुक हैं, उन्हें पात्रता मानदंड को पूरा करना जरूरी है। वाणिज्यिक बोली तभी खोली जाएगी जब बोलीदाता निम्न होता है:

1. एक इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) और NIXI का सदस्य जिसके पास वैध आईएसपी लाइसेंस (दस्तावेजी प्रमाण प्रदान किया जाना चाहिए) के साथ आईपीवी6 समर्थित कनेक्टेड नेटवर्क सहित मुंबई में कनेक्टेड नेटवर्क हों;
2. आईएसपी क्लास ए आईएसपी या यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस धारक होना चाहिए, जो वर्तमान में वैद्य हो (दस्तावेजी प्रमाण प्रदान किया जाना चाहिए);
3. कम से कम पिछले तीन वर्षों से मूल आईएसपी कारोबार में हों (दस्तावेजी प्रमाण प्रदान किया जाना चाहिए);
4. दिल्ली/नोएडा में डायरेक्ट सपोर्ट ऑफिस हो; और
5. कोटेशन प्रस्तुत करने के समय पर किसी भी विनियामक/सांविधिक प्राधिकरण या पीएसयू/पीएसबी/सरकारी संगठन में काली सूची में नहीं डाला गया हो (घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा)।

वाणिज्यिक बोलियों का मूल्यांकन नीचे की प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा

1. वाणिज्यिक बोली को एक अलग सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
2. उनके वाणिज्यिक के अनुसार प्रस्तावों को रैंक दी जाएगी।
3. अनुलग्नक-2 (वाणिज्यिक बोली प्रारूप) में उल्लेखित अनुसार 5 वर्षों हेतु टीसीओ के कुल प्रभारों के आधार पर एल1 (न्यूनतम बोलीदाता) आएगा।
4. रा.आ.बैंक के पास मूल्यांकन मानदंड, कार्यप्रणाली को संशोधित करने का अधिकार है, यदि ऐसा करना आवश्यक लगता है।
5. समायोज्य मूल्य उद्धरण के साथ प्रस्तुत बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

4. मुख्य तकनीकी जरूरतें

शामिल है, लेकिन निम्न तक सीमित नहीं है:

1. समर्पित 32 एमबीपीएस (1:1 अनकम्प्रेस्ड, अनफिल्टर्ड एवं साझा नहीं किया गया) इंटरनेट लिज्ड लाइन बेंडविथ सेवाएं; कम समय की सूचना में 64 एमबीपीएस तक जा सके।
2. आईएसपी के 1 टियर 1 पीयरिंग पॉइंट तक औसत विलंबता 300ms से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. डीडीएसएस ट्रैफिक के 500 एमबीपीएस पर इंटरनेट और ऑनलाइन संसाधनों की सुरक्षा के लिएपहले दिन से प्रबंधित DDoS डिटेक्शन, प्रोटेक्शन एंड मिटिगेशन सर्विसेज, ।

   डीडीओएस न्यूनीकरण में नीचे की विशेषताएं शामिल होनी चाहिए

- सांख्यिकीय विसंगति आधारित हमले का पता लगाना- वैध और दुर्भावनापूर्ण ट्रैफ़िक के बीच अंतर करने के लिए विक्रेता के समाधान को पिछले ट्रैफ़िक पैटर्न का उपयोग करना चाहिए। हमले के न्यूनीकरण के दौरान वैध उपयोगकर्ता प्रभावित नहीं होना चाहिएवेंडर को झूठी सकारात्मकता और झूठी नकारात्मकता दरों और प्रस्तावित समाधान में झूठी सकारात्मकता और झूठी नकारात्मकता से से कैसे बचाव हो सकता है, इसके बारे में स्पष्ट व्याख्या करनी होगी।
- वेंडर के समाधान को ग्राहक के ट्रेफिक प्रोफाइल में बदलावों को स्वत: ही सीखना और अपनाना चाहिए। समाधान को हालिया ग्राहक स्थिर ग्राहक प्रोफ़ाइल पर आधारित नहीं बल्कि ट्रेफिक प्रोफाइल पर आधारित हमलों को पहचानना चाहिए और यह
- वेंडर के समाधान में ज्ञात या संदिग्ध भौगोलिक स्थानों से आईपी को ब्लॉक करने की क्षमता होनी चाहिए।
- प्रस्तावित समाधान में 500 एमबीपीएस डीडीओएस अटैक ट्रैफिक को संभालने की क्षमता होनी चाहिए।
- प्रस्तावित सोल्यूशन में चेतावनी उत्पन्न करने और डीडीओएस हमला लॉग करने की क्षमता होगी जिससे भविष्य में इसका पता लगया जा सके। वेंडर समयबद्ध तरीके से ग्राहक को सूचित करते है जब उनके सिस्टम में ग्राहक नेटवर्क के विरूद्ध डीडीओएस हमले का पता चलता है।
  - वितरण सार्वजनिक आईपी अड्रैस के माध्यम से होना चाहिए और रा.आ.बैंक लैन पर न्यूनतम 32 सार्वजनिक आईपीवी 4 अड्रैस और डब्ल्यूएएन पर 4 सार्वजनिक आईपीवी 4 अड्रैस के पूल के साथ एक नेटवर्क बनाने में सक्षम होना चाहिए। (आएलएल आईवीपी4 / 30 और एलएएन आईपी पूल आईपीवी4 / 27 हेतु डब्ल्यूएएन आईपी पूल)
  - आईएसपी ग्राहक उपकरणों हेतु सिंगल डाउनलोड लिंक के साथ सिंगल सीपीई प्रदान करेगा। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि हमारे परिसर में स्थापित उपकरणों पर अन्य ग्राहकों के कनेक्शन को समाप्त न हों। आईएसपी अनुबंध की अवधि के दौरान लीज़ लाइन सक्षम करने के लिए अपनी लागत पर पीई / राउटर प्रदान करेगा।

4. सेवा स्तरीय करार के साथ अपटाइम गारंटी - महीने-दर-महीने आधार पर 99.50% है।
5. आईएसपी को सिफी टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए वैकल्पिक लिंक के लिए स्वचालित स्विचओवर के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने की भी आवश्यकता है।

बोलीदाताओं को सामान्य निर्देश और अनुलग्नक –I के भाग ख को भी संदर्भित किया जाना है-

समाप्ति हेतु हार्डवेयर :

1. राउटर, मक्स / मोडेम, और आईएसपी द्वारा प्रदान किए जाने हेतु आवश्यक कोई अन्य हार्डवेयर।

2. आपूर्ति किए गए हार्डवेयर को सेवाओं में शामिल किया जाना चाहिए और यह केवल आईएसपी की आस्ति होगी।

3. आईएसपी द्वारा आपूर्ति किए गए हार्डवेयर का रखरखाव केवल आईएसपी की जिम्मेदारी होगी।

5. भुगतान शर्तें:-

i. सभी एक बार के प्रभारों का भुगतान रा.आ.बैंक द्वारा डीडीओएस पता लगाने एवं रोकने की सेवाओं के इनेबल एवं साइनऑफ के साथ लिंक के सफलतापूर्वक शुरू होने के बाद ही किया जाएगा।

ii. सेवा स्तर की उपलब्धि के आधार पर प्रत्येक तिमाही के समापन के बाद शुल्क का भुगतान किया जाएगा। (लिक्विडेटेड डैमेज, पेनल्टी और सर्विस लेवल क्लॉज के तहत निर्दिष्ट नेटवर्क का प्रदर्शन और अपटाइम मासिक आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा और उसके अनुसार भुगतान जारी किया जाएगा)। बोलीदाता को टीडीएस / अन्य करों में कटौती के बाद रा.आ.बैंक को तिमाही शुल्क का भुगतान करने में सक्षम करने हेतु प्राप्त अपटाइम के साथ विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

iii. यदि संविदा समाप्त हो जाती है तो लागू दंड एवं टीडीएस/ अन्य करों की कटौती के बाद प्रदान की गई सेवा अवधि के लिए यथानुपात आधार पर सेवाओं हेतु भुगतान किया जाएगा।

iv. बिलिंग के समय प्रचलित दर के अनुसार कर का सांविधिक रूप से वास्तविक भुगतान किया जाएगा।

v. कोई अतिरिक्त शुल्क जैसे कनवेंस, यात्रा, दैनिक होटल व्यय आदि का चयनित बोलीदाता या उनके इंजीनियरों को उपकरण / लिंक या किसी अन्य कारण से शिफ्टिंग के दौरान भुगतान नहीं किया जाएगा।

चूंकि संविदा की संपूर्ण अवधि के दौरान वितरित सभी हार्डवेयर बोलीदाता (सेवा प्रदाता) के होंगे, सेवा प्रदाता सभी जोखिमों के लिए रा.आ.बैंक परिसर में संस्थापित सभी नेटवर्क हार्डवेयर मदों का पूर्ण संविदा अवधि के लिए बीमा करवाएंगे।

स्थानांतरण

संविदा के कार्यकाल के दौरान परिसर के भीतर स्थानांतरण प्रभारों का भुगतान संविदा अवधि के दौरान बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

अर्थदंड नियम

बोलीदाता संपूर्ण संविदा अवधि के दौरान एसएलए के अनुसार मासिक आधार पर सामान्य व्यवसाय घंटों के दौरान अपटाइम की गारंटी देगा। रा.आ.बैंक निम्नानुसार अर्थदंड लगाएगा:

प्रति माह अपटाइम	मासिक भुगतान के % में अर्थदंड
>= 99.50%	0
> 98.50 to < 99.50	5
> 97.50 to < 98.50	10
> 96.50 to < 97.50	20
> 95.50 to < 96.50	30
> 95.00 to < 95.50	40
> 90.00 to < 95.00	50
< 90	100

वितरण तिथि बढ़ाने के बाद भी यदि किसी स्थान/कार्यालय में कनेक्टिविटी ठीक नहीं रहती तो प्रत्येक सप्ताह की देरी पर लिंक की वार्षिक लागत का 1% तथा अधिकतम 10% तक अर्थदंड वसूला जाएगा।

अपवर्जन

निम्नलिखित स्थितियों के कारण अर्थदंड गणना के उद्देश्य हेतु डाउनटाइम पर विचार नहीं किया जाएगा

- सेवा प्रदाता द्वारा पूर्व सूचना पर अनुसूची का अनुरक्षण
- रा.आ.बैंक स्थान/ कार्यालय में बिजली चले जाने के कारण लिंक डाउन
- अप्रत्याशित घटना

6. बोलीदाताओं के लिए सामान्य नियम और शर्तें तथा निर्देश:-

बोली दस्तावेजों में अपेक्षित सभी सूचना प्रस्तुत न करने पर बोली रद्द की जा सकती है एवं यह बोलीदाता के स्वयं के जोखिम पर होगा। किसी भी उत्तरदाता एवं रा.आ.बैंक के बीच कोई बाध्यकारी संबंध मौजूद नहीं रहेगा जब तक कि अनुबंधात्मक करार का निष्पादन न किया जाये। रा.आ.बैंक को बोली प्रस्तुत करने हेतु उत्तर देने वाला प्राप्तकर्ता को यह समझा जाएगा कि उसे इस भूमिका एवं अस्वीकरण की शर्तें स्वीकार हैं। प्राप्तकर्ता से अपेक्षित है कि वे इससे संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित व्यक्ति से करें:

संपर्क: श्री अनुज रस्तोगी **पद: उप महाप्रबंधक** **ईमेल** : **anuj.rastogi@nhb.org.in** **दूरभाष** : **+91 - 11 – 39181044**	**संपर्क: श्री राजीव रंजन** **पद: सहायक महाप्रबंधक** **ईमेल :** rajiv.ranjan@nhb.org.in **दूरभाष: +91 - 11 – 39187234**

1. रा.आ. बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर बोली बंद होने के पश्चात किसी भी उत्तरदाता से कोई अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है और दी जाने वाले ऐसी सभी सूचना और सामग्री उत्तरदाता के प्रत्युत्तर का भाग होनी चाहिए।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि बोली हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, उत्तरदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, फैक्स, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।

3. बोलीदाता को स्थानीय परिस्थितियों से परिचित होना चाहिए और उन्हें अपना प्रस्ताव तैयार करते समय ध्यान में रखना चाहिए।

4. प्रस्ताव तैयार करने में शामिल लागत, प्रलेखन लागत आदि प्रतिपूर्ति योग्य नहीं हैं।

5. रा.आ.बैंक इसे प्रस्तुत किए गए किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

6. बोलीदाता, रा.आ.बैंक के दस्तावेज़ का उत्तर देकर, इस दस्तावेज़ में बताई गई शर्तों को स्वीकार करने के लिए समझा जाएगा।

7. चयन प्रक्रिया एल1 मानदंड पर आधारित होगी, जहां पूर्ण महत्व केवल वाणिज्यिक बोली को दिया जाएगा।

8. बोलीदाता को आईपीवी6 सक्षम कनेक्टेड नेटवर्क के साथ मुंबई में एनआईएक्सआई का आईएसपी कनेक्टेड मेम्बर होना चाहिए जिसके पास वैध ISP लाइसेंस हो। इस मानदंड का अनुपालन नहीं करने वाली बोलियों को वाणिज्यिक मूल्यांकन के लिए नहीं माना जाएगा।

9. आईएसपी के प्रथम टियर 1 पीयरिंग पॉइंट तक औसत लेटेंसी 300ms से अधिक नहीं होनी चाहिए।

10. आईएसपी के पास 24 X 7 X 365 ग्राहक सहायता प्रदान करने के लिए एनसीआर/दिल्ली/ मुंबई में पर्याप्त समर्थन सुविधा होनी चाहिए।

    i. आईएसपी में कॉल लॉगिंग, निगरानी और ट्रबलशूटिंग उद्देश्य के लिए केंद्रीकृत ट्रबल टिकट टूल होना चाहिए।
    ii. आईएसपी के पास सभी कॉल लॉगिंग और स्टेटस अपडेट के लिए सिंगल टोल फ्री नंबर / हेल्प डेस्क होना चाहिए।
    iii. आईएसपी में कॉल रिज़ॉल्यूशन प्रोग्रेस की स्थिति को ट्रैक करने और ग्राहक को अपडेट प्रदान करने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षमताएं और प्रक्रियाएं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, आईएसपी में स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रबंधन और तकनीकी वृद्धि प्रक्रियाएं होनी चाहिए।
    iv. आईएसपी को ग्राहक के लिए एक एसएएम (सेवा आश्वासन प्रबंधक) आवंटित करना चाहिए।

v. आईएसपी को बोलीदाता द्वारा प्रदान किए गए इंटरनेट बैंडविड्थ को मापने / जांचने के लिए सॉफ्टवेयर टूल / विधि प्रदान करना होगा।

vi. आईएसपी को बैंडविड्थ के उपयोग की मासिक एमआरटीजी रिपोर्ट प्रदान करनी होगी और यह सुनिश्चित करेगी कि 16 एमबीपीएस (1: 1) बैंडविड्थ प्राप्त हो।

vii. 99.50% की गारंटीकृत अपटाइम प्रतिबद्धता के साथ प्रस्तावित लिंक के लिए बोलीदाता को सेवा स्तरीय करार (एसएलए) की पेशकश करना आवश्यक है।

11. आईएसपी को भारत में अंतर्राष्ट्रीय गेटवे तक डोमेस्टिक बैक-बोन के लिये फाइबर माध्यम पर पूरी तरह से रिसायलेंट और सेल्फ-हीलिंग नेटवर्क आर्किटेक्चर होना चाहिए। आईएसपी में एक अत्यंत विश्वसनीय नेटवर्क होना चाहिए और अतिरेक सभी स्तरों पर (यानी, नेटवर्क ऑपरेशंस सेंटर में, डोमेस्टिक बैक-बोन पर और भारत से बाहर जाने के इंटरनेट गेटवे पर) अपेक्षित है।

12. मिटाये गए अथवा संशोधित प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव में हाथ से लिखित सामग्री, सुधार अथवा संशोधन न हो। जानकारी भरने में 'ठीक है', 'स्वीकार है', 'देख लिया है', 'जैसा ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है' जैसे शब्द स्वीकार्य नहीं है। रा.आ.बैंक इन दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकार्य के तौर पर समझेगी। रा.आ.बैंक इस प्रस्ताव में किसी प्रकार के गैर अनुरूपता अथवा मामूली अनियमितता पर अपने विवेक पर छूट दे सकता है। यह सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगी एवं रा.आ.बैंक के पास ऐसे छूट देने के अधिकार सुरक्षित हैं।

13. बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के साथ बोलीदाता एवं रा.आ.बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज तथा समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखे होंगे।

14. यदि कोई पूछताछ/स्पष्टीकरण चाहिए हो तो ऊपर बताए गए संपर्क व्यक्ति से 02 सितम्बर, 2019 को या उससे पहले सोमवार से शुक्रवार प्रात: 11.00 से सायं 05.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं।

15. बोलीदाता तकनीकी बोली (सहायक दस्तावेज) और वाणिज्यिक प्रस्तावों वाले लिफाफों को अलग-अलग मुहरबंद करेगा। ऐसा न करने पर बोली रद्द की जा सकती है तथा आगे किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

16. लिफाफे में पारदर्शी भाग नहीं होना चाहिए तथा उस पर "राष्ट्रीय आवास बैंक - क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई में DDoS संरक्षण के साथ इंटरनेट लीज्ड लाइन और बैंडविड्थ सेवाओं की आपूर्ति, कमीशनिंग और अनुरक्षण के लिए बोलियों का आमंत्रण" लिखा जाना चाहिए।

लिफाफा रा.आ.बैंक के नीचे दिए गए पते पर भेजे जाएंगे :

महाप्रबंधक,

आईटी विभाग

राष्ट्रीय आवास बैंक

कोर 5 ए, तीसरा तल, भारत पर्यावास केन्द्र

लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

17. सभी लिफाफों पर बोलीदाता का नाम, पता और सम्पर्क नम्बर लिखा होना चाहिए।

18. यदि लिफाफा उपर्युक्त अनुसार मुहरबंद और चिह्नित नहीं होगा तो बोली के खो जाने या उसके समय से पहले खुल जाने के लिए रा.आ. बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

19. रा.आ.बैंक को दिनांक **11 सितम्बर, 2019 को 1800 बजे** या उससे पहले निर्दिष्ट पते पर बोली प्राप्त हो जानी चाहिए।

20. बोली प्रस्तुत करने की निर्दिष्ट तिथि पर रा.आ. बैंक के लिए अवकाश घोषित होने की स्थिति में बोलियां अगले कार्य-दिवस पर नियत समय तक प्राप्त की जाएंगी।

21. रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है, इस मामले में, रा.आ.बैंक और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और कर्तव्य जो पहले निर्धारित समय सीमा के अधीन थे, वे इसके बाद बढ़ाई गई समय सीमा के अधीन होंगे।

22. बोली प्रस्तुतीकरण हेतु रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित समय-सीमा के बाद रा.आ.बैंक द्वारा प्राप्त किसी भी बोली को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और बिना खोले बोलीदाता को वापस कर दिया जाएगा।

23. रा.आ. बैंक, अपने विवेकाधिकार से, बोली में किसी भी मामूली अस्थिरता, गैर अनुरूपता या अनियमितता में छूट कर सकता है, जो सामग्री में कोई अंतर नहीं करता है, बशर्ते इस तरह की छूट किसी भी बोलीदाता की संबंधित श्रेणी को क्षति या प्रभावित करती हो।

24. उद्धृत मूल्य स्थिर मूल्य आधार पर भारतीय रुपए में होने चाहिए तथा उसमें सभी करों, लेवी, शुल्क, सेवा कर, अन्य प्रभार, आदि समेत निम्नलिखित शाामिल होने चाहिए: उपकरण की लागत, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, आदि, (उनकी वारंटी एवं कार्यान्वयन लागत समेत)। लागत में स्थल की तैयारी, लेआउट डिज़ाइन तथा संस्थापन हेतु परामर्श शामिल होने चाहिए।

25. बोलीदाता लाइसेंस, अनुमोदन आदि प्रदान करने हेतु, जिसकी आवश्यकता हो, सरकारी एजेंसियों या अन्य विभागों के साथ संपर्क करने के लिए जिम्मेदार है।

26. उद्धृत मूल्य में सभी परिवहन एवं बीमा लागत शामिल होनी चाहिए।

27. वेंडर को परिशिष्ट 2 में दी गई संरचना के अनुसार लागत मैट्रिक्स को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहिए।

28. कोई अंतर होने पर बोली रद्द की जा सकती है। रा.आ.बैंक निम्नलिखित स्थितियों में से एक या अधिक के घटित होने पर आदेश रद्द करने का अधिकार रखता है:
    - क्रय आदेश की स्वीकृति की तिथि से 10 सप्ताह के बाद प्रणाली के संस्थापन एवं शुरू होने में देरी।

29. बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन हेतु रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम है।

30. बोलीदाता निष्पादन, स्टांप ड्यूटी और अनुबंध और करार (एसएलए,एनडीए आदि) को प्रस्तुत करने के लिए सभी लागतों को वहन करेगा। इन लागतों की प्रतिपूर्ति / क्षतिपूर्ति के लिए रा.आ.बैंक जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

31. बोलीदाता अपने कर्मियों या अपने उपठेकेदारों/ फ्रेंचाइजी के कर्मियों की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है और वे दोनों के लिए जवाबदेह होगा। बोलीदाता अपने कर्मचारियों, एजेंटों, ठेकेदारों, उप-ठेकेदारों आदि द्वारा किए गए किसी भी कार्य, कर्मों या चीजों के लिए परोक्ष तौर पर उत्तरदायी होगा, जो रा.आ.बैंक द्वारा जारी शक्ति निहित या निर्देशों के दायरे से बाहर है। बोलीदाता, इस निविदा के लिए जारी किए जाने वाले अनुबंध के तहत निहित बोलीदाता द्वारा कार्यरत कर्मचारियों, एजेंटों, ठेकेदारों, उप-ठेकेदारों आदि का प्रधान नियोक्ता होगा और सभी कार्यों, कर्मों या चीजों के लिए परोक्ष तौर पर उत्तरदायी होगा, चाहे वह शक्ति के दायरे में हो या शक्ति के दायरे से बाहर हो। इस आमंत्रण/निविदा के लिए जारी किए जाने वाले अनुबंध के तहत किसी भी कार्य के लिए, बोलीदाता द्वारा कर्मचारियों, एजेंटों, ठेकेदारों, उप-ठेकेदारों आदि के कार्य के आधार पर किसी भी रोजगार का कोई अधिकार प्राप्त या उत्पन्न नहीं होगा।

32. केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशों के अनुसार, यह आवश्यक है कि एसआई / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार ऐसे अनुबंधों की खरीद और निष्पादन के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करें। रा.आ.बैंक निर्णय के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि यह निर्धारित करता है कि निर्णय के लिए अनुशंसित बोलीदाता अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा में भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में कार्य कर रहे हैं।

33. मूल्य ब्योरा प्रारूप में कोई अंकगणितीय त्रुटियां होने पर उसे निम्नलिखित आधार पर संशोधित किया जाएगा:

i. यदि इकाई मूल्य और कुल मूल्य के बीच कोई अंतर है, जो कि इकाई मूल्य को मात्रा के साथ द्विगणित करके प्राप्त किया गया है, इकाई मूल्य प्रचलित रहेगा तथा कुल मूल्य संशोधित रहेगा जब कि वह निम्नतम अंक न हो। यदि आपूर्तिकर्ता त्रुटियों के संशोधन को स्वीकार नहीं करता, उसकी बोली रद्द कर दी जाएगी।

ii. यदि अंकों और शब्दों में उद्धृत इकाई मूल्य में कोई अंतर है, तो मद हेतु अंकों में या शब्दों में कुल बोली मूल्य से संबंधित इकाई मूल्य को सही माना जाएगा।

iii. यदि वेंडर ने कुल बोली मूल्य पर कार्य नहीं किया या कुल बोली मूल्य शब्दों अथवा अंकों में उद्धृत इकाई मूल्य से संबंधित नहीं है, तो शब्दों में उद्धृत इकाई मूल्य को सही माना जाएगा।

iv. रा.आ.बैंक बोली में किसी भी मामूली अस्थिरता, गैर अनुरूपता या अनियमितता में छूट कर सकता है, जो सामग्री में कोई अंतर नहीं करता है, बशर्ते इस तरह की छूट किसी भी बोलीदाता की संबंधित श्रेणी को क्षति या प्रभावित करती हो।

34. सेवा का समय और गुणवत्ता इस करार के सार है। उसका पालन न करना संविदा के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।

35. बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित कोई अतिरिक्त या भिन्न नियम एवं शर्तों को रद्द कर दिया जाएगा बशर्ते कि रा.आ.बैंक से लिखित में अनुमति प्राप्त की हो।

36. प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण द्वारा, बोलीदाता, उसे दिए गए किसी कार्य के लिए रा.आ.बैंक के साथ शीघ्र संविदा हेतु सहमत है। रा.आ.बैंक के साथ एक वैध संविदा के निष्पादन हेतु बोलीदाता की ओर से असफल होने पर रा.आ.बैंक बोलीदाता हेतु कर्तव्य से मुक्त होगा और किसी दूसरे बोलीदाता का चयन किया जा सकता है।

37. यदि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कोई विवरण या संलग्न फॉर्म किसी भी समय यानी बोली के मूल्यांकन के दौरान / कार्य आदेश प्रस्तुत करने के बाद वह झूठे/ गलत पाए जाते हैं तो बोली/ कार्य आदेश को अस्वीकृत/ रद्द कर दिया जाएगा तथा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

38. शॉर्ट लिस्टिंग, स्टेटस इत्यादि के संबंध में किसी भी प्रकार के प्रचार/लॉबिंग / प्रभाव /प्रश्न को अयोग्य ठहराया जा सकता है।

39. बोलीदाता अनुबंध के तहत प्राप्त किसी भी जानकारी को गोपनीय रखेगा और उक्त रा.आ.बैंक को लिखित रूप में सहमति के साथ किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रकट नहीं करेगा। अनुपालन न होने की स्थिति में, अनुबंध रा.आ.बैंक द्वारा रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

40. रा.आ.बैंक बोली प्रस्तुतीकरण की समयसीमा से पहले किसी भी कारण से, या तो अपनी पहल से या भावी बोलीदाताओं द्वारा अनुरोध किए गए स्पष्टीकरण के प्रत्युत्तर में, संशोधन द्वारा प्रस्तावों को संशोधित कर सकता है जो अंतिम होगा।

41. बोलीदाता को दिये जाने वाले आदेश की स्थिति में, पीओ की तारीख से 8 सप्ताह के भीतर प्रावधानीकरण, संस्थापना और कमीशनिंग और परिचालन पूरा किया जाना चाहिए।

समाप्ति नियम

रा.आ.बैंक निम्नलिखित स्थितियों में से एक या अधिक के घटित होने पर आंशिक या पूर्ण रूप से संविदा समाप्त करने का अधिकार रखता है:

- बोलीदाता संविदा अनुसार निर्धारित समय के भीतर या रा.आ.बैंक द्वारा दिए गए किसी अतिरिक्त समय तक निर्दिष्ट स्थानों पर इंटरनेट लिंक संस्थापित करने तथा शुरू करने में असफल रहता है।
- लगातार दो तिमाही या किसी वित्तीय वर्ष में तीन तिमाही में सेवा स्तरीय अपेक्षा प्राप्त करने में कमी।
- बोलीदाता संविदा के तहत किसी अन्य कर्तव्य के निष्पादन में असफल रहता है।
- सेवा प्रदाता द्वारा निगरानी / विन्यास आदि हेतु तैनात कर्मचारी की किसी गतिविधि द्वारा रा.आ.बैंक के डेटा / संपत्ति की सुरक्षा में कोई खतरा अनुभव करने या पाए जाने पर।
- हालांकि संविदा समाप्ति के मामले में एक पक्ष द्वारा अन्य पक्ष को 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा।
- यदि सेवा प्रदाता दिवालिया या अशोधन हो जाता है तो सेवा प्रदाता को लिखित नोटिस देकर रा.आ.बैंक किसी भी समय संविदा को समाप्त कर सकता है। इस स्थिति में, सेवा प्रदाता को ऐसी समाप्ति हेतु मुआवज़ा नहीं दिया जाएगा बशर्ते कि ऐसी समाप्ति बाद में कार्रवाई के अधिकार को क्षति या प्रभावित करती हो जो रा.आ.बैंक हेतु देय है या बाद में देय होगी।

सेवा स्तरीय करार (एसएलए) तथा गैर-उद्घाटन करार (एनडीए):-

चयनित वेंडर को रा.आ.बैंक के साथ एक सेवा स्तरीय करार तथा गैर-उद्घाटन करार करना आवश्यक है। एसएलए के तहत कवर किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु:-

- न्यूनतमक 99.50% के प्वाइंट टू प्वाइंट नेटवर्क अपटाइम
- इंटरनेट उपलब्धता गारंटियां, पैकेट हानि गारंटियां, लेटेंसी गारंटियां।
- सेवा समस्याओं के समाधान हेतु प्रक्रिया, सेवा आउटेज हेतु मुआवजा तथा सेवा की अवनति
- 24 घंटे X 7 हेल्प डेस्क सेवा की उपलब्धता।
- ऑनलाइन ट्रैफिक सांख्यिकी की उपलब्धता (उपभोक्ता को भी यह उपलब्ध होना चाहिए)
- पूर्ण एस्केलेशन मैट्रिक्स

- अर्थदंड नियम
- तकनीकी डेटा, डेटा अंतरण हानि और पिल्फ्रेज आदि।

कार्य की अनुसूची

आदेश की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर परियोजना पूर्ण हो जानी चाहिए। वेंडर से अपेक्षित है कि वह रा.आ.बैंक के साथ नियमित बैठकें करें तथा कार्य की प्रगति सूचित करें।

प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण, प्राप्ति एवं खोलना

- बोलीदाता के प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्रस्ताव के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने चाहिए।

- प्रस्ताव में कोई काट-छांट या संशोधन नहीं होना चाहिए तथा ऐसे प्रस्तावों को मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है।

- रा.आ.बैंक को बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से दो महीने या खुलने की तिथि से 45 दिनों की अवधि के लिए, जो भी बाद में हो, प्रस्तावों को स्वीकृति हेतु वैध तथा खुले हुए रहना चाहिए। प्रस्ताव तैयार करने के बाद बोलीदाता को उसमें आहरण या बदलाव करने की अनुमति नहीं है।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:
www.nhb.org.in – **What's New**

किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।